समक्ष श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/3349 निगरानी प्र.क्र. ------/2017

बाबूलाल बघेल, आयु लगभग 48 वर्ष
आत्मज श्री कल्याण सिंह बघेल,
निवासी– म.नं. 9/2, ग्राम छोटी रूसल्ली,
पोस्ट सुनखेर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदक

विरुद्ध

धरमचंद साहू आत्मज श्री प्यारेलाल
निवासी– ग्राम छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक राजस्व प्रकरण क्र. 14/अ–12/16–17 में की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 24.06.2017 एवं आदेश दिनांक 24.06.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी, जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे नं. 318, रकबा 1.265 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभिलिखित किया जाकर राजस्व निरीक्षक मण्डल–2, लटेरी द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया तथा सीमांकन हेतु सूचना–पत्र जारी किया जाना लेख किया तथा कथित सूचना–पत्र में दिनांक 24.06.2017 की दिनांक नियत किया जाना उल्लेखित किया गया। आवेदक को दिनांक 24.06.2017 को सीमांकन किये जाने बाबत् कोई सूचना–पत्र प्रेषित नहीं किया गया तथा आवेदक की अनुपस्थिति में बिना स्थाई सीमा चिन्हों का निर्धारण किये सीमांकन किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। भूमि सर्वे नं. 318 के बाद खसरा क्. 317/1/1 में आवेदक का स्वत्व, हित एवं आधिपत्य निहित है। दिनांक 24.06.2017 को स्थाई सीमा चिन्ह चांदा टॉवर से मिलान किये बगैर आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की जाकर सर्वे क्र. 317 में कब्जा पाया जाना एवं संलग्न नक्शे में उक्त कब्जे को लाल स्याही से दर्शाया जाना बताया गया है। खसरा क्र. 317 के पृथक–पृथक बटांक होकर खसरा क्र. 317/2, 317/1/1 एवं 317/1/2 राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों का भी सत्यापन कथित सीमांकन के समय नहीं किया गया और मनमाने ढंग से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमांकन की कार्यवाही सीमांकन नियमों का पालन किये बगैर की गई है। कथित सीमांकन का ना तो कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया और ना ही फील्ड बुक तैयार की गई है, ऐसी स्थिति में सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः सीमांकन नियमों के प्रतिकूल है। कथित सीमांकन कार्यवाही से आवेदक के हित प्रभावित हो रहे हैं तथा कथित सीमांकन की

....2..

RN2016-544

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3349

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	